न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 36/2025 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2025/40

1. सुखदेव सिंह पुत्र मिठ्ठू सिंह जाति मजहबी साकिन 41 एल.एल.डब्ल्यू सुरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. गरीबू पुत्र नानक जाति बावरी साकिन चक 1 पी.एम प्रथम तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़।
2. मलकीत पुत्र नानक जाति बावरी साकिन चक 1 पी.एम प्रथम तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़।
3. मांडी देवी पुत्री नानक जाति बावरी साकिन चक 1 पी.एम प्रथम तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़।
4. राजस्थान सरकार।

—— रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट
श्री आनन्द बजाज – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2

निर्णय

दिनांक 24.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना आदेश दिनांक 21.12.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक पी.एम. प्रथम तहसील घड़साना के मुरब्बा नंबर 212/53 में 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि शेर सिंह के नाम आवंटन हुई थी। शेर सिह के देहान्त के पश्चात उक्त वादभूमि का विरास्तन इंतकाल मृतक के दो वारिस के नाम दर्ज हुआ। रेस्पोडेंन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में विरास्तन इंतकाल के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना ने उक्त प्रकरण में विरास्तन इंतकाल संख्या 43 दिनाक 14.08.1996 निरस्त कर ग्राम पंचायत 5 पीएसडी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दी की मृतक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

शेरसिंह द्वारा करवाई गई पंजीकृत वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में इंतकाल दर्ज करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के उक्त आदेश दिनांक 21.12.2002 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय अपील में प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त अपीलाधीन भूमि मृतक शेर सिंह के नाम से आवंटन थी। शेर सिंह के देहान्त के पश्चात ग्राम सरंपच द्वारा विरास्तन इंतकाल संख्या 43 दिनांक 14.08.1996 को जायज वारिसान के नाम पुत्री वीरों 1/2 व पुत्र नानक 1/2 के नाम इंतकाल दर्ज हुआ था। आवंटी आवंट का पुत्र नानक फौत हो चुका था। उसके वारिस रेस्पोडेनट्स है। उक्त विरासतन इंतकाल के विरूद्ध अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपील में कथन किया कि मृतक शेर सिंह द्वारा हमारे पक्ष में वसीयत हो चुकी थी इस कारण विरास्तन इंतकाल निरस्त किया जावे तथा वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किरने का आदेश करें। अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध रूप से आदेश पारित कर सीधा ही लिखा कि वसीयत से इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। प्रथम अपील मियाद बाहर थी। मियाद के बिन्दू पर निर्णय किये बिना ही अपील का तथ्यों पर निर्णय पारित कर दिया जो गलत था प्रथम मियाद के बिन्दू पर निस्तारण करना आवश्यक था। इस संबंध न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1999 पेज 98, आर.आर.डी 2022 पेज 389 प्रस्तुत किए। उक्त प्रकरण में विरास्तन इंतकाल दर्ज हुआ था अगर कोई वसीयत से इंतकाल करवाना चाहता है तो सिविल कोर्ट से ही वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश करवाना होगा। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 2002 पेज 280, आर.आर.डी 1998 पेज 553 व आर.आर.डी 2009 पेज 128 प्रस्तुत किए। अधीनस्थ न्यायालय ने सीधे ही वसीयत से इंतकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया जबकि वसीयत के बाबत् जांच हुए बिना, सावित हुए विना इंतकाल हो ही नही सकता। इसके संबंधम में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1974 पेज 450 प्रस्तुत किया। अपीलांट के द्वारा जरिये बैयनामा वीरों से 1/2 हिस्से की भूमि खरीदशुदा है। जिसका इंतकाल संख्या 293 अपीलांट के पक्ष में दर्ज हो चुका है। कब्जा काश्त अपीलांट का हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें व अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

घड़साना दिनांक 21.12.2002 निरस्त फरमावें व पूर्व से दर्ज विरास्तन इंतकाल को यथावत रखा जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त वादगत भूमि शेर सिंह के नाम से आवंटित हुई। शेर सिंह के एक पुत्र नानक व एक पुत्री वीरों हुए। शेर सिंह के पुत्र नानक फौत हो गये जिनके वारिसान में उनकी पत्नी वीरों, गरीबू पुत्र मालकित पुत्र, माडी पुत्री हुए। शेर सिंह द्वारा अपने जीवन काल में अपने पुत्र नानक की पत्नी वीरों पुत्री बरीबू व मलकीत के हम में वसीयत दिनांक 11.04.1996 को निष्पादित की जो उप पजीयक घडसाना में पजीबद्ध शुदा हैं। शेर सिंह का स्वर्गवास दिनांक 16.07.1996 को हो गया लेकिन बावजूद वसीयत विरास्तन इंतकाल 43 दिनांक 14.08.1996 दर्ज कर दिया गया। जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी घडसाना द्वारा स्वीकार करते हुए इंतकाल संख्या 43 निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो निगरानी दिनांक 13.05.2005 को निरस्त फरमा दी। वादगत भूमि की वसीयत ही रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में है तो उक्त भूमि की वीरों पुत्री शेर सिंह द्वारा जरिये बैयनामा अपीलांट सुखदेव के पक्ष में विक्रय करने के अधिकार ही नही थे। इंतकाल संख्या 43 को दिनांक 21.12.2002 को निरस्त फरमा दिया गया था तो उक्त इंतकाल के निरस्त हो जाने के बाद दिनांक 28.10.2024 को बिना अधिकार के बैयनामा निष्पादित होने से अपीलांट सुखदेव को कोई अधिकार हासिल नही होता है न ही उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हैं। अपील अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.12.2002 के विरूद्ध 2025 में प्रस्तुत की गई है जो स्पष्टरूप से मियाद बाहर है तथा अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का विधि सम्मत स्पष्टीकरण डे टू डे बाबत् प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलांट सुखदेव सिंह द्वारा सही तथ्यों को छिपाते हुए अपील माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। जबकि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के आदेश 21.12.2002 ने तो पक्षकार था और न ही उसे अपील पेश करने का अधिकार हासिल है। रेस्पोडेन्ट गरीबू, मलकीत व वीरो पत्नी नानक वादगत कृषि भूमि के एकमात्र काविज व मालिक है तथा उसके हक में निष्पादित वसीयत की मौजूदगी में अपीलांट को किसी प्रकार का कोई अधिकार हासिल नही होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा दौराने बहस उभय पक्ष एवं न्यायिक दृष्टांतो पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार पक्ष होने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। उक्त प्रकरण में विरास्तन इंतकाल संख्या 43 ग्राम पंचायत ने दिनांक 14.08.1996 को दर्ज किया है। उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का आदेश दिनांक 21.12.2002 वसीयत के आधार पर पारित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय से साबित नहीं करवाया गया। अगर कोई वसीयत से इंतकाल दर्ज करवाना भी चाहता है तो सिविल कोर्ट से ही वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश करवाना होगा। इसके संबंध में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय से साबित नहीं करवाया जाता है, तब तक विरास्तन दर्ज इंतकाल को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार, घड़साना का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2002 उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.12.2002 को निरस्त किया जाता है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर